को पेश हो।

21/3/22	वकील फरीकैन उ०प० मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार हो चुका है। अतः प्र० पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी TI खारिज की जाती है। पत्रा० दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)